

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१९

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९.

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

२. मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) की धारा १५ में, उप-धारा (१) में,— धारा १५ का संशोधन.

(एक) खण्ड (छह) और (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(छह) मध्यप्रदेश राज्य का एक संसद सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(सात) मध्यप्रदेश राज्य से राज्यसभा का एक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;”;

(दो) खण्ड (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(नौ) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित विभिन्न तीन राज्यों के प्रत्येक का एक संचार प्रतिनिधि;”;

(तीन) खण्ड (तेरह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(तेरह) ख्यातिप्राप्त जनसम्पर्क का विशेषज्ञ या विज्ञापन क्षेत्र का विशेषज्ञ, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;”;

(चार) खण्ड (पंद्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(पंद्रह) महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन);”;

(पांच) खण्ड (बीस), (इक्कीस) और (बाईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(बीस) भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर) के दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक पांच प्रसार वाले समाचार पत्रों में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(इक्कीस) भारत के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संस्करणों को सम्मिलित कर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्र में से एक का वरिष्ठ पत्रकार;

(बाईस) अपर मुख्य सचिव अथवा उनके द्वारा नामनिर्देशित कोई प्रतिनिधि जो सचिव से निम्न श्रेणी का न हो;”;

(छह) खण्ड (पच्चीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(पच्चीस) मनोरंजन संचार क्षेत्र का एक वरिष्ठ विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;”;

(सात) खण्ड (सत्ताईस), (अट्ठाईस) और (उनतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(सत्ताईस) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक विशेषज्ञ:—

- (क) टेलीविजन समाचार चैनल से एक प्रतिष्ठित पत्रकार;
- (ख) कम्प्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी का एक ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ;
- (ग) सोशल मीडिया का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;
- (घ) विकास संचार का एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(अट्ठाईस) दो विभिन्न राज्यों में प्रत्येक से एक विख्यात हिन्दी मीडियाकर्मी जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(उनतीस) मध्यप्रदेश के एक विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;”.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) २८ वर्षों से लागू है. उपरोक्त अधिनियम की धारा १५ में विश्वविद्यालय की महापरिषद् के गठन का प्रावधान उपबंधित है. महापरिषद् अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनी है. महापरिषद् विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है.

२. अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया गया है. कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा १५ के कतिपय उपबंधों को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ५ जुलाई, २०१९

पी. सी. शर्मा
भारसाधक सदस्य.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय विधेयक, १९९०
(क्रमांक १५ सन् १९९०) से उद्धरण

* * * *

धारा १५ (१)

- (एक) मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश,
 (दो) भारसाधक मंत्री, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश, सरकार,
 (तीन) भारसाधक मंत्री, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश सरकार,
 (चार) भारसाधक मंत्री, शिक्षा, मध्यप्रदेश सरकार,
 (पांच) मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष का नेता,
 (छह) एक संसद सदस्य, जो लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,
 (सात) राज्य सभा का एक सदस्य, जो राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,
 (आठ) अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद्,
 (नौ) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चयनित पांच राज्यों में से प्रत्येक का एक-एक प्रतिनिधि, जो उनके अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,
 (दस) एडीटर्स गिल्ड का एक नामनिर्देशिनी जो भारतीय भाषा प्रेस का हो,
 (ग्यारह) एक ख्यात जनसंचार विशेषज्ञ, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,
 (बारह) पत्रकारिता का एक ख्यात अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,
 (तेरह) पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी ऑफ इन्डिया का एक नामनिर्देशिनी,
 (चौदह) प्रमुख सचिव, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश शासन,
 (पन्द्रह) अध्यक्ष, भारतीय जनसंचार संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्यूनिकेशन) या उसका नामनिर्देशिनी,
 (सोलह) मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशिनी,
 (सत्रह) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा,
 (सत्रह-क) विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का एक आचार्य, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्देशित किया जायेगा,
 (अठारह) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिनी,
 (उन्नीस) विश्वविद्यालय का कुलपति,
 (बीस) भारत में सर्वाधिक परिचालित भारतीय भाषा के समाचार पत्र का संपादक,
 (इक्कीस) भारत में सर्वाधिक परिचालित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र का संपादक,
 (बाईस) प्रमुख सचिव, वित्त, मध्यप्रदेश, शासन
 (तेईस) मध्यप्रदेश के एक हिन्दी दैनिक का संपादक,
 (चौबीस) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव,
 (पच्चीस) भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का एक नामनिर्देशिनी, जो भारतीय भाषा प्रेस का होगा,
 (छब्बीस) मध्यप्रदेश से संबद्ध दो प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,
 (सत्ताईस) भारतीय भाषा प्रेस से पांच संपादक, इस शर्त के अधधीन रहते हुए कि एक भाषा के लिए एक से अधिक संपादक नहीं होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,
 (अट्ठाईस) पांच विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक के ख्यात हिन्दी दैनिक का एक संपादक जो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा,
 (उनतीस) मध्यप्रदेश के किसी एक विश्वविद्यालय का कुलपति, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा.

ए. पी. सिंह
 प्रमुख सचिव,
 मध्यप्रदेश विधान सभा.